न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर
हीरालाल बनाम ज्यानी

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	115/11 धारा आज्ञा विस्तृत रूप से
	9.9.2022	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। शेष बहस पूर्ण सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15.9.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	15.9.2022	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। समय अभाव के कारण आदेश जारी नहीं किये जा सके अतः पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते आदेश दिनांक 20.9.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	20.9.2022	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। वाद वादीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय [illegible] पृथक से लिखवाया [illegible] फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.10.12 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 115 / 2011 वाद प्रस्तुति दिनांक – 04.07.2011

1. हीरालाल पुत्र भूरा पौत्र मुकन्दा, जाति रैगर, निवासी ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. गणेशनारायण पुत्र भूरा पौत्र मुकन्दा, जाति रैगर, निवासी ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. गुल्लाराम पुत्र मुकन्दा (दौराने वाद फौत)

   3/1 सुभाष अटल पुत्र स्व. गुल्लाराम जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

   3/2 रामचन्द्र अटल पुत्र स्व. गुल्लाराम जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

   3/3 पूरण चन्द पुत्र स्व. गुल्लाराम जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

   3/4 सुशीला पुत्री स्व. गुल्लाराम पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण जाति रैगर निवासी ग्राम लाल्यावास तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

   3/5 शीला पुत्री स्व. गुल्लाराम पत्नी श्री ताराचंद जाति रैगर निवासी ग्राम लाल्यावास तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। (मृतक दौराने दावा)

   3/5/1 सुनील कुमार वर्मा पुत्र ताराचंद वर्मा निवासी लाल्या का बास, महापुरा

   3/5/2 प्रवीण वर्मा पुत्र ताराचंद वर्मा निवासी लाल्या का बास, महापुरा जयपुर

   3/5/3 सुनीता वर्मा पत्नी श्री गणेश नारायण वर्मा पुत्री श्री ताराचंद वर्मा निवासी रैगरों का मोहल्ला, बुडथल, जिला जयपुर।

   3/6 फुली पुत्री स्व. गुल्लाराम पत्नी श्री ताराचन्द जाति रैगर निवासी ग्राम जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. सुवालाल पुत्र मुकन्दा (दौराने वाद फोत)

   4/1 मदन पुत्र स्व. श्री सुवालाल जाति रैगर निवासी बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

   4/2 सरिता पुत्री स्व. श्री सुवालाल (फौत)

   4/2/1 लक्ष्मीनारायण पुत्र प्रेमराज जाति रैगर निवासी ग्राम बगडी तहसील पीपलू जिला टोंक।

   4/2/2 अरविन्द कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति रैगर निवासी ग्राम बगडी तहसील पीपलू जिला टोंक।

   4/2/3 मनीष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति रैगर निवासी ग्राम बगडी तहसील पीपलू जिला टोंक।

   4/2/4 रैणु पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी रविकुमार जाति रैगर निवासी ग्राम प्रतापनगर, खानिया बंधा, तहसील जयपुर जिला जयपुर।

   4/2/5 आरती पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी विनोद कुमार जाति रैगर निवासी ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.10.12 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

4/3 मोहन पुत्र स्व. सुवालाल जाति रैगर निवासी ग्राम बैनामड मय दौलपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

4/4 छीतरमल पुत्र सुवालाल जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

4/5 त्रिलोक चंद पुत्र स्व. सुवालाल जाति रैगर निवासी बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

4/6 गोपीराम पुत्र स्व. सुवालाल जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

4/7 संतोष पुत्री स्व. सुवालाल जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

4/8 माया पुत्री स्व. सुवालाल जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

4/9 विमल पुत्र स्व. सुवालाल जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

5 काना पुत्र मुकन्दा (दौरान वाद फौत)

5/1 ग्यारसी बेवा स्व. कानाराम (नाम हजफ आदेश दिनांक 20.02.2020)

5/2 सुरेश चन्द स्व. कानाराम जाति रैगर निवासी बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर

5/3 छीतरमल अटल पुत्र स्व. कानाराम जाति रैगर बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

5/4 देवेन्द्र पुत्र स्व. कानाराम जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

5/5 सोहनी देवी पुत्री स्व. कानाराम पत्नी हनुमान जाति रैगर निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील सांभर जिला जयपुर।

5/6 तारा पुत्री स्व. कानाराम पत्नी श्री गुलाब जाति रैगर निवासी मीनावाला तहसील जयपुर।

.... **वादीगण**

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

बनाम

1. ग्यारसी देवी पत्नी गोविन्दराम जाति रैगर निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. ओमप्रकाश पुत्र गोविन्दराम (दौराने वाद फौत)

2/1 संतरा देवी पत्नी स्व. ओमप्रकाश जाति रैगर निवासी खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।

2/2 राजेश पुत्र स्व. ओमप्रकाश जाति रैगर निवासी खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।

2/3 अरविन्द पुत्र स्व. ओमप्रकाश जाति रैगर निवासी खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।

2/4 अजय पुत्र स्व. ओमप्रकाश पत्नी नरेन्द्र जाति रैगर निवासी खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।

2/5 उषा देवी पुत्री स्व. ओमप्रकाश जाति रैगर निवासी कस्बा सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

2/6 पुष्पा देवी पुत्री स्व. ओमप्रकाश पत्नी रामस्वरूप जाति रैगर निवासी ग्राम कुन्दनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana
Date: 2022.10.12 11:44:0
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

3. श्रवण कुमार पुत्र गोविन्द राम जाति रैगर निवासी खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. कैलाश चन्द पुत्र गोवन्द राम जाति रैगर निवासी खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. रामजीलाल पुत्र ईशरा जाति रैगर निवासी बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. सहकारी भूमि विकास बैंक जरिये मैनेजर शाखा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
7. उप पंजियक आमेर , तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील –आमेर, जिला–जयपुर (राजस्थान)

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा मय दुरूस्ती रिकॉर्ड अन्तर्गत धारा – 88, 92(अ),188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री संजय शर्मा, श्री भगवानसहाय शर्मा – अधिवक्ता वादीगण

(2) श्री अजय सैनी – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

दिनाँकः– 20.09.2022

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बैनाड कि खसरा किश्तवार सम्वत 1998 में अंकित गत खसरा नंबर 127 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा भूमि के काबिज बहैसियत रेकार्डेड काश्तकार वादीगण के पूर्वज मुकन्दा पुत्र ईशरा थे। खसरा किश्तवार सम्वत 1998 में अंकित खसरा नंबर 127 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा के काबिज काश्तकार वादीगण के पूर्वज थे जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही उस भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे तथा उक्त भूमि पर बदस्तूर काबिज होकर अपने जीवनभर भूमि का उपयोग उपभोग करते रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। गत भू–प्रबन्ध में खसरा नंबर 127 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 169 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा बनाये गये जो गत मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2010 से 2023 में अंकित किया गया। भू–प्रबन्ध में राज्य सरकार के कामगारों ने गलत रूप से साबिक खसरा नंबर 127 से बने खसरा नंबर 169 को प्रतिवादीगण के पूर्वजों से सांठ–गांठ कर श्यो... राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया जबकि उक्त भूमि पर वादीगण के पूर्वज मुकन्दा पुत्र ईसरा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे। खसरा नंबर 169 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा के गलत अंकन की जानकारी होने पर वादीगण बडे भाई/पिता ने प्रतिवादीगण के पूर्वजों से राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के लिए कहा जिस पर उन्होंने राजस्व रिकार्ड की त्रुटि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.10.12 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

स्वीकार करते हुए कथन किया कि भूमि गलत रूप से हमारे नाम अंकित हो गयी है। उसे हम भू–प्रबन्ध विभाग/तहसील जाकर दुरूस्त करवा देंगे तथा उन्होंने बदनियतिपूर्वक पंचायत में जाकर अपनी स्वीकृति के आधार पर खसरा नंबर 169 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा में से 11 बीघा 04 बिस्वा भूमि को वादीगण के नाम अंकित करवा दी तथा शेष भूमि उनके नाम अंकित करवाने की जानकारी प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा दी गयी जिस पर वादीगण के भाई/पिता भूराराम जी ने विश्वास करते हुए आगे की कार्यवाही नहीं की। गत खसरा नंबर 169 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा के हाल भू–प्रबन्ध विभाग ने मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नंबर 514 रकबा 0.35 है0 खसरा नंबर 515 रकबा 0.70 है0 खसरा नंबर 516 रकबा 0.55 है0 खसरा नंबर 517 रकबा 0.50 है0 खसरा नंबर 518 रकबा 0.34 है0 खसरा नंबर 519 रकबा 0.01 है0 खसरा नंबर 520 रकबा 0.38 है0 खसरा नंबर 509 रकबा 1.83 है0 में से 1.40 है0 खसरा नंबर 510/877 रकबा 0.15 है0 खसरा नंबर 515/1030 रकबा 0.10 है0 खसरा नंबर 516/1031 रकबा 0.10 है0 खसरा नंबर 517/1032 रकबा 0.08 है0 कुल किता 12 बनाये गये जिसे वाद पत्र के अन्य मद में विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रतिवादीगण ने हाल ही में जब वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी की तब वादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड प्राप्त करने पर विवादित आराजी में से खसरा नंबर 509 रकबा 1.83 है0 में से 1.40 है0 खसरा नंबर 510/877 रकबा 0.15 है0 खसरा नंबर 515/1030 रकबा 0.10 है0 खसरा नंबर 516/1031 रकबा 0.10 है0 खसरा नंबर 517/1032 रकबा 0.08 है0 के प्रतिवादीगण के नाम रिकार्ड में अंकित होने की जानकारी होने पर मान्य न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने पर वाद पत्र प्रस्तुत किया।

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य में प्रतिलिपि नकल निर्णय दिनांक 17.06.2011 राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान, नकल निर्णय एसीएम आमेर अबेट दिनांक 29.06.2011, नकल प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा किश्तवार खसरा नम्बर 127, नकल मिलान क्षेत्रफल 2010, मिलान क्षेत्रफल संवत 2040, नकल गत जमांबदी मिसल बंदोबस्त, नकल नामान्तकरण प्रस्तुत किया है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व 6 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर 17.10.2011 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा 02.12.2011 को जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित किया है कि खसरा किश्तवार सम्वत 1998 में अंकित गत खसरा नंबर 127 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा भूमि के काबिज बहेसियत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वादीगण के पूर्वज मुकन्दा पुत्र ईसरा थे जो असत्य लिखा है। वादपत्र की मद संख्या तीन सजरा खानदान गलत लिखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.10.12 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या चार गलत होने से अस्वीकार है। खसरा किस्तवार सम्वत 1998 में अंकित खसरा नंबर 127 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा के काबिज काश्तकार वादीगण के पूर्वज कभी नहीं रहे। और ना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से ही उस भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे। और ना ही उक्त भूमि पर बदस्तूर काबिज होकर अपने जीवन भर भूमि का उपयोग उपभोग करते रहे हैं और ना ही उनकी मृत्यु पश्चात वादीगण कभी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नंबर 169 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा को प्रतिवादी संख्या पांच का दादा श्योजी वल्द पेमा जागीर के समय से काश्त करता था व लगान की अदायगी करता था, इसलिये संवत 2010 में उसके नाम से खातेदारी खतोनी बंदोबस्त में वास्तविकता के अनुसार सही दर्ज की गई है एवं श्योजी के स्वर्गवास के पश्चात विरासत के आधार पर ईसर पुत्र श्योजी के नाम से खातेदारी दर्ज हुई है। जो कानूनी प्रावधानों के अनुसार सही दर्ज हुई है। वादीगण के पूर्वज गुल्या व भूरा पिता मुकन्दा ने आराजी खसरा नंबर 169 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा में से 11 बीघा 4 बिस्वा का नामान्तरण संख्या 47 दिनांक 21.10.62 को सरपंच ग्राम पंचायत तथा राजस्व कारकुनान से साज व षडयन्त्र रचकर अनुचित व अवैध रूप से तस्दीक करवाकर उसको राजस्व भू–अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवाया है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का किसी भी तरह से कोई कब्जा काश्त नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या एक ता पांच का कब्जा काश्त है तथा प्रतिवादी संख्या एक ता पांच खातेदार काश्तकार है। तथा लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। साबिक खसरा नंबर 169 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा जो प्रतिवादी संख्या पांच का दादा श्योजी वल्द पेमा जागीर के समय से काश्त करता था व लगान की अदायगी करता था इसलिये संवत 2010 में उसके नाम से खातेदारी खतोनी बंदोबस्त में वास्तविकता के अनुसार सही दर्ज की गई है एवं श्योजी के स्वर्गवास के पश्चात विरासत के आधार पर ईसर पुत्र श्योजी के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। जो कानूनी प्रावधानों के अनुसार सही दर्ज हुई है। वादीगण के पूर्वज गुल्ला व भूरा पि0 मुकन्दा ने आराजी खसरा नंबर 169 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा में से 11 बीघा 4 बिस्वा का नामान्तरण संख्या–47 दिनांक 21.10.62 को सरपंच ग्राम पंचायत तथा राजस्व कारकुनान से साज व षडयन्त्र रचकर अनुचित व अवै[illegible] तस्दीक कराकर उसको राजस्व भू अभिलेख में अपने नाम [illegible] संख्या पांच व प्रतिवादी संख्या पांच के पूर्वज ने नामान्तरण [illegible] वादीगण के पूर्वजों के नाम भूमि ट्रांसफर कराने की किसी भी प्रकार की कोई [illegible] सहमति नहीं दी है। सरपंच ग्राम पंचायत को इस प्रकार से नामान्तरण तस्दीक करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। उक्त नामान्तरण संख्या 47 प्रारम्भ से ही शून्य व अप्रभावी है। जिसमें वादीगण को कोई अधिकार नहीं मिले है। उक्त नामान्तरण से

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sl
Date: 2022.10.12 11:44:03 IS
Reason: SelfAttested
सहायक कलक्टर आमेर प्र. जयपुर

प्रतिवादी संख्या पांच व उसके पूर्वजों के अधिकार किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हुए है ना ही हो सकते हैं। उक्त नामान्तरण के विरूद्व प्रतिवादी संख्या पांच ने सक्षम न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रखी है जो विचारधीन है खसरा नंबर 169 व उससे बने हाल समस्त खसरा नम्बरान की भूमि पर प्रतिवादी संख्या पांच व उनके पूर्वज जागीरदार अधिग्रहण अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने के पूर्व से उस दिन व उसके पश्चात से आज दिन तक बतोर टीनेन्ट काबिज होकर काश्त कर एवं प्राकृतिक उपज का उपयोग उपभोग कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। 169 से बने हाल खसरा नंबर 509, 510 / 877 इन नंबरों में गत खसरा नंबर 167 का रकबा भी शामिल है तथा खसरा नंबर 515 / 1030, 516 / 1031, 517 / 1032 की खातेदारी तो प्रतिवादी के नाम से दर्ज कर दी गई है। लेकिन हाल खसरा नंबर 514 लगायत 520 की खातेदारी वादीगण के नाम से उक्त नामान्तरण संख्या 47 के आधार पर हुये अवैध अंकन के आधार पर दर्ज कर दी गई है। जो शुन्य है। तथा वादीगण के पूर्वज मुकन्दा पुत्र ईसरा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व वादग्रस्त भूमि पर कमी भी कब्जा काश्त में नहीं रहा था। वाद पत्र की मद संख्या सात गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या दो लगायत पांच ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार आमेर को आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 10.06.10 को सीमाज्ञान किये जाने का आदेश जारी किया जिसकी पालना में दिनांक 17.6.10 को पटवारी हल्का ने सीमाज्ञान की कार्यवाही कर रिपोर्ट तैयार की है। वादीगण का यह कथन कि खसरा नंबर 169 / 2 की भूमि प्रतिवादीगण की है स्वीकार है वादीगण ने मद हाजा में वर्णित कहानी बनावटी दर्ज की है। उक्त आराजी पर मुकन्दा वल्द ईशरा का कभी कब्जा नही रहा है ना ही उसने कभी काश्त ही की है। वादीगण का यह कथन कि खसरा नंबर 169 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा के गलत अंकन की जानकारी होने पर वादीगण के बडे भाई / पिता ने प्रतिवादीगण के पूर्वजों से राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के लिए कहा। जिस पर उन्होंने राजस्व रिकार्ड की त्रुटी को स्वीकार करते हुये कथन किया कि भूमि गलत रूप से नाम अंकित की गई उसे हम भू प्रबंध विभाग / तहसील में जाकर अपनी स्वीकृति के आधार पर खसरा नंबर 169 [illegible] बीघा 14 बिस्वा में से 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि को वादीगण के नाम अंकित करवा दी। तथा [illegible] भू[illegible] अपने नाम अंकित रखते हुये वादीगण को सम्पूर्ण भूमि उ[illegible] प्रतिवादीगण के पूर्वज के द्वारा दी गई जिस पर वादीगण के भाई / पिता [illegible] जी ने विश्वास करते हुये आगे कोई कार्यवाही नही की सरासर गलत होने से अस्वीकार हैं। वादीगण ने बदनियती पूर्वक ग्राम पंचायत के सरपंच व राजस्व कारकुनाम से सांठ गांठ कर नामान्तरण संख्या 47 दिनांक 21.10.1962 अवैधानिक रूप से अपने नाम स्वीकार कर लिया। जो कानून में अवैध व शून्य है इसके आधार पर वादीगण को खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.10.12 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested

आमेर म. जयपुर

नहीं मिल सकती वादीगण को सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड की जानकारी प्रारम्भ से ही है। प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने किसी प्रकार की कोई जानकारी वादीगण को नहीं दी है। प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने किसी प्रकार की रजामंदी से नामान्तरण संख्या 47 दिनांक 21.10.62 तस्दीक नहीं करवाया है। सम्पूर्ण तथ्य वादीगण ने मिथ्या अंकित किये है।

प्रतिवादीगण का जवाब पेश होने पर दावे में निम्न विवाद्यक तनकी कायम की गई :–

1. आया वादीगण वाद पत्र के अनुतोष "क" में वर्णित भूमि विवादग्रस्त के खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने के अधिकारी है ?

.... वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को वाद पत्र की मद संख्या 14 में वर्णित स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने के अधिकारी है ?

.... वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण संख्या 5 का दादा श्योजी वल्द पैमा जागीर के समय संवत 2010 से ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त था। इसलिए उनके नाम सही खातेदारी दर्ज हुई है?

.... प्रतिवादी संख्या 5

4. आया नामान्तकरण संख्या 47 दिनांक 21.10.1962 वादीगण के पूर्वज गुल्ला व भूरा पिता मुकुन्दा ने संरपंच ग्राम पंचायत एवं राजस्व कारकुनान से साज व षडयंत्र रचकर अनुचित रूप से नाम दर्ज करवाया है। जो प्रारम्भ से शून्य व अप्रभावी है ?

.... प्रतिवादी संख्या 5

5. आया वादीगण को वादकारण उत्पन्न नही हुआ है ?

.... प्रतिवादी संख्या 5

6. आया वादीगण का वाद प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिये बिना मेन्टेनेबल नहीं है ?

.... प्रतिवादी संख्या 5

7. आया वादीगण वाद कब्जा प्राप्ति के अनुतोष के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है?

.... प्रतिवादी संख्या 5

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादीगण पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत [illegible] करवाये।

1. PW1 सुवालाल पुत्र मुकन्दा निवासी बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर,जयपुर
2. PW2 गणेशनारायण पुत्र भूरा पौत्र मुकन्दा निवासी बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर,जयपुर
3. PW3 गैन्दा पुत्र सुक्खा जाति मीणा निवासी बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर,जयपुर
4. PW3 रामचन्दा पुत्र हुकमा जाति धानका निवासी बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर,जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.10.12 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

5. दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी प्रदर्श–1, खसरा गिरदावरी राज सवाई – प्रदर्श 2, खतौनी बन्दोबस्त ग्राम बैनाड प्रदर्श– 3, जमाबंदी(खेवट खतौनी) ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा प्रदर्श–4, मिलान रकबा क्षेत्रफल ग्राम बैनाड प्रदर्श– 5, पर्चा खतौनी प्रदर्श – 6, आदेश राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर दिनांक 17.06.2011 प्रदर्श – 7, शपथ पत्र प्रदर्श – 8, गिरदावरी खतौनी प्रदर्श – 9, नामांतरण पंजिका प्रदर्श – 10, भूमि बंदोबस्त – 11, **12** , लगान रसीद प्रदर्श – 13 से 18 तक, कूप निर्माण रसीद प्रदर्श – 19, रसीद प्रदर्श – 20 से 23, प्रार्थना बाबत् वसूली बकाया प्रदर्श – 24, भूप्रबन्ध पर्चा नोटिस प्रदर्श – 25, बैंक जमा रसीद प्रदर्श 26 से 31, रसीद प्रदर्श – 32 से 37, राजस्थान भूराजस्व बंदोबस्त पर्चा लगान प्रदर्श – 38, रसीद प्रदर्श 39 से 55, भूप्रबन्ध पर्चा लगान प्रदर्श – 56, बिजली कनेक्शन ऑर्डर 22.02.79 प्रदर्श – 57, नकल नक्शा प्रदर्श– 58, वादीगण ने प्रदर्शित करवाया।

प्रतिवादी साक्ष्य हेतु प्रतिवादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. DW1 रामजीलाल पुत्र ईशरा निवासी बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर जयपुर।
2. दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादीगण उपखण्ड अधिकारी आमेर वाद पत्र 83/2010 प्रदर्श–ए–1, उपखण्ड अधिकारी आमेर वाद पत्र 134/2010 प्रदर्श–ए–3, शपथ पत्र व निर्णय संभागीय आयुक्त दिनांक 28.8.2012 प्रदर्श ए–4, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का निर्णय दिनांक 23.12.2013 प्रदर्श ए–5, राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश दिनांक 03.12.2014 प्रदर्श ए–6, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–7, जमाबंदी खेवट खतौनी प्रदर्श ए – 8, रसीदे प्रदर्श ए–9 से 29, ऋण वसूली का मांग पत्र प्रदर्श – 30, बैंक वसूली ऋण रसीदे प्रदर्श ए–31 से 33, खसरा गिरदावरी प्रदर्श ए–34, खसरा गिरदावरी प्रदर्श ए–35, खसरा गिरदावरी प्रदर्श ए–36 ने प्रदर्शित करवाया।

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

1. आया वादीगण वाद पत्र के अनुतोष "क" में वर्णित भूमि विवादग्रस्त के खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने के अधिकारी है ?

Signature Not Verified

....

2. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को वाद पत्र [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने के अधिकारी है ?

Digitally signed by Aprana Sh
Date: 2022.10.12 11:44:03 IS
Reason: SelfAttested

.... वा[illegible]

तनकी संख्या 1 व 2 सुविधा की दृष्टि से एक साथ निर्णित की जाती है। तनकी संख्या 1 व 2 को न्यायालय के समक्ष स्थापित करने का भार वादीगण पर है। इसके सन्दर्भ में वादीगण द्वारा वाद पत्र में यह वर्णित किया गया है कि पूर्व खसरा नम्बर 127 ग्राम बैनाड तहसील आमेर जिला जयपुर वादीगण के पूर्वज मुकुन्दा पुत्र

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

ईसरा की स्वामित्व की आराजीयात थी, जिसके नये खसरा नम्बर 169 कायम किये गये। वादीगण द्वारा इस तनकी के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी खसरा नंबर 169 संवत 2008 से 2019 (प्रदर्श–1), प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा किश्तवार (चकबन्दी सन् 1942 से 1950) (प्रदर्श–2), प्रमाणित प्रतिलिपि खतौनी बन्दोबस्त 2010 से 2023 (प्रदर्श–3), प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2018 से 2021 खसरा नंबर 169/2(प्रदर्श–4), प्रदर्श–5 मिलान क्षेत्रफल, रसीद संख्या 2802 संवत 2001 नाम काश्तकार मुकन्दा मार्फतदाद कोर्ट ऑफ वाईस राज सवाई जयपुर (प्रदर्श–09) पेश किये गये हैं। इसके अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य के रूप में सुवालाल पुत्र मुकन्दा (PW-1), गणेश नारायण पुत्र भूरा (PW-2) के बयान मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 127 के स्थान पर खसरा नम्बर 169 का कायम किया जाना पत्रावली पर प्रकट किया गया है। यहां यह वर्णित किया जाना आवश्यक है कि वादीगण की ओर से दिनांक 28.06.2010 को एक वाद संख्या 83/2010 सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें वादीगण द्वारा पूर्व खसरा नम्बर 169/2 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि के नवीन खसरा नम्बर 515/1030, 516/1031, 517/1032 रकबा 28 एआर भूमि के संबंध में अनुतोष याचित किया गया था। तत्पश्चात वादीगण की ओर से एक अन्य वाद 20.10.2010 को वाद संख्या 134/2010 बउनवानी गुल्लाराम बनाम प्रकाश आदि प्रस्तुत किया था जिसमें वादीगण द्वारा हाल खसरा नम्बर 510/877, 509, 515/1030, 516/1031, 517/1032 कुल रकबा 7.5 बीघा बाबत अनुतोष याचित किया गया था। वाद संख्या 134/2010 के विचारण के दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से एक प्रार्थना पत्र O7R11 CPC प्रस्तुत किया गया था जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2011 स्वीकार कर वाद संख्या 134/2010 को विधि विरूद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज किया गया था। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 25.05.2011 को अस्वीकार कर खारिज की गयी थी एवं माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय के द्वित्तीय अपील के आदेश दिनांक 17.06.2011 के कम में वाद संख्या 83/2010 एवं वाद संख्या 134/2010 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात के विषयगत एक नवीन वाद प्रस्तुति की नवीन अनुमति प्रदान की गयी थी जिसके संदर्भ में उपरोक्त हस्तगत वाद संख्या 115/2011 प्रस्तुत किया गया है।

हस्तगत वाद संख्या 115/2011 में पूर्व सम्पूर्ण खसरा नम्बर 127 को वादीगण द्वारा स्वयं की खातेदारी में होना वर्णित किया गया है। जबकि पूर्व खसरा नम्बर 127 सम्पूर्ण के संदर्भ में पूर्व वाद संख्या 83/2010 एवं वाद संख्या 134/2010 में कोई अनुतोष याचित नहीं किया गया था। वाद संख्या 83/2010 मात्र 28 एआर जमीन [illegible] वाद संख्या 134/2010 मात्र 7.5 बीघा के जमीन के विषयगत था जिसमें [illegible] 83/2010 की 28 एआर जमीन भी शामिल थी। जबकि हस्त[illegible] वादीगण द्वारा कुल 18 बीघा 14 बिस्वा के विषयगत अनुतोष याचित किया गया है। जबकि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा नवीन वाद हेतु पूर्व वाद संख्या 83/2010 व 134/2010 में वर्णित आराजीयात के विषयगत ही अनुमति प्रदान की गयी थी। इस प्रकार हस्तगत वाद प्रस्तुति के विषयगत वादीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। वादीगण का आधार अभिलेख खसरा किश्तवार प्रदर्श 2 है जो कि Record of Right

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sha
Date: 2022.10.12 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

नहीं है। जहां तक वादीगण द्वारा प्रस्तुत कथन कि खसरा किश्तवार संवत 1998 में वादग्रस्त भूमि के खातेदार वादीगण के पूर्वज मुकन्दा पुत्र ईशरा थे, का प्रश्न है। प्रथमतः तो उक्त कथन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जिसके प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदार काश्तकार की श्रेणी का निर्धारण होता है, से अप्रासंगिक है। संवत 1998 के रिकॉर्ड के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत काश्तकार की श्रेणी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व जयपुर रियासत के टीनेन्सी कानून लागू होते थे। उक्त कानूनों को राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत विलोपित कर दिया गया था। हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 के रूप में खसरा गिरदावरी संवत 2008 से 2019 प्रस्तुत की गई है। उक्त गिरदावरी का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 169 संवत 2008 में गिरदावरी के कॉलम संख्या 07 (नाम खातेदार मय वल्दियत कौमियत व सकूनत व मुददत व मियाद पट्टा) में जैराम वगैरह ब.न. 21 दर्ज है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी ग्राम बैनाड संवत 2009 से 2012 में वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 169 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा के भूमि अधिकारी के रूप में जैराम वगैरह ब.न. 21 दर्ज है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत 2013 से 2016 में भी वादग्रस्त भूमि के भूमि अधिकारी के रूप में जैराम वगैरह ब.न. 21 दर्ज है। संवत 2013 में कृषक अथवा उपकृषक के कॉलम में कोई नाम दर्ज नहीं है। संवत 2014 के विशेष विवरण कॉलम में श्योजी रैगर दर्ज है। इसी प्रकार संवत 2015 के विवरण विशेष के कॉलम में खुद श्योजी रैगर अंकित है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रारंभ के समय वादीगण के पूर्वज वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नंबर 169 के काश्तकार रहे हों, इस आशय का कोई दस्तावेज वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ख.न. 169 की प्रथम जमाबन्दी प्रतिवादी संख्या 5 के पूर्वज श्योजी पुत्र पेमा के नाम पर तैयार होना उभयपक्ष का स्वीकृत तथ्य है। इससे वादीगण का यह कथन कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पूर्वज मुकन्दा पुत्र ईशरा काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे, साबित नहीं हो पाया है। गत खसरा नम्बर 127 कभी भी वादी की खातेदारी में नहीं होना, वादी साक्षी श्री सुआलाल (PW-1) द्वारा प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया गया है। श्री सुआलाल द्वारा साक्ष्य हेतु शपथ पत्र में यह स्पष्टतः स्वीकार किया गया है कि खसरा किश्तवार के सम्बन्ध में साक्षी को जानकारी नहीं है एवं साक्ष्य के शपथपत्र का कोई भाग श्री सुआलाल [illegible] अंकित नहीं करवाया गया है। ईसरा पुत्र श्योजी से कोई जमा[illegible] वादी के पूर्वजों के [illegible] नहीं आयी है। विवादीत आराजीयात के संबंध में वादीगण के पूर्वज मुकुन्दा पुत्र ईशरा [illegible] खातेदारी का कोई कागजात पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्व जागीरदार [illegible] कोई पट्टा वादीगण के पूर्वजों को नहीं दिया गया था। लगान रसीदात पर जागीरदार के हस्ताक्षर नहीं है। पत्रावली पर जागीर के समय का कोई स्वामित्व दस्तावेज वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sh[illegible]
Date: 2022.10.12 11:44:03 IS[illegible]
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

पक्ष का प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्वर्गीय मुकुन्दा के अन्य उत्तराधिकारी भी है। वादी पक्ष के अन्य साक्षीगण द्वारा भी वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं होना पत्रावली पर प्रकट किया गया है। इसी प्रकार PW-2 गणेश नारायण पुत्र श्री भूराराम ने अपने जिरह बयान में स्वीकार किया है कि प्रदर्श–2 जो खसरा किश्तवार है उसके अलावा वादग्रस्त आराजियात पर मुकन्दा का कब्जा होने का उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और न ही पेश किया गया है। इन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि खसरा नंबर 169 के संबंध में मुकन्दा पुत्र ईशरा के नाम कोई गिरदावरी नहीं है। PW-2 ने यह भी कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि की खातेदारी ईसर पुत्र श्योजी रैगर से जरिये नामान्तकरण प्रदर्श–10 से ही सर्वप्रथम गुल्ला पुत्र मुकन्दा रैगर को हुई है। उक्त नामान्तकरण संख्या 47 पटवारी हल्का द्वारा इस आधार पर दर्ज किया गया है कि खसरा नंबर 169 में से 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि ईसर पुत्र श्योजी द्वारा राजी खुशी बाने–जोतने हेतु दे दी गई है तथा ग्राम पंचायत खोरा बिसल द्वारा भी इसी आधार पर नामान्तकरण स्वीकार कर दिया गया है जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत है तथा इस प्रकार से खातेदारी हस्तांतरण का कोई प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नहीं है। वादीगण द्वारा वादपत्र में स्वयं के अधिकारों की घोषणा बाबत नामांतरण संख्या 47 प्रदर्श 10 के बारे में कथन अंकित किये हैं जबकि उक्त नामांतरण को सक्षम अंतिम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है एवं उक्त नामांतरण के आधार पर वादीगण किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण के द्वारा स्वयं के वाद के समर्थन में लगान रसीदात पेश की गयी है। जिस पर सक्षम राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है एवं स्वयं वादी साक्ष्य द्वारा लगान रसीदात पर जागीरदार के हस्ताक्षर नहीं होना स्वीकार किया गया है। विवादित आराजीयात पर वादीगण के निरन्तर कब्जे बाबत कोई खसरा गिरदावरियां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। संवत 2010 से पूर्व की कोई जमाबन्दी वादी द्वारा स्वयं के अधिकारों के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। जबकि प्रतिवादी के पूर्वजों का नाम राजस्व अभिलेखों में संवत 2010 से आज दिवस तक निरन्तर रूप से चला आ रहा है एवं प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा निरन्तर रूप से स्वयं का विवादित आराजीयात पर कब्जा होना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसके हक में कानूनन विधिक उपधारणा भी है। वादीगण द्वारा विवादित आराजीयात पर स्वयं का निरन्तर कब्जा होना किसी भी साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष स्थापित नहीं किया [illegible] वादीगण द्वारा वाद के तथ्यों की प्रमाणिति बाबत पर्याप्त साक्ष्य [illegible] नहीं की गयी है।

यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी [illegible] स्वयं का वाद सिद्ध करना आवश्यक होता है। उपरोक्त विवेचन से वादीगण तनकी 01 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sh[illegible]
Date: 2022.10.12 11:44:03 IS[illegible]
Reason: SelfAttested

[illegible]क कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

02 को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3

आया प्रतिवादी संख्या 5 का दावा श्योजी वल्द पेमा जागीर के समय संवत 2010 से ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त था। इसलिए उनके नाम सही खातेदारी दर्ज हुई है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 5 पर था। इसके संबंध में प्रतिवादी संख्या 05 रामजीलाल पुत्र ईसरा कौम रैगर द्वारा मौखिक साक्ष्य DW-1 प्रस्तुत कर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श A-7 खतौनी बंदोबस्त संवत 2010 से 2023, लगान की रसीदें प्रदर्श A-9 से A-29, लोन की रसीदें प्रदर्श A-30 से A-33, गिरदावरी संवत 2013 से 2016 प्रदर्श A-34, गिरदावरी संवत 2017 से 2020 प्रदर्श A-35 तथा गिरदावरी संवत 2023 से 2029 प्रदर्श A-36 प्रदर्शित किये गये हैं। प्रदर्श A-7 खतौनी बंदोबस्त संवत 2010 से 2023 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त दस्तावेज के कॉलम नंबर 4 नाम खातेदार मय वल्दियत, कौमियतव सकूनत में श्योजी वल्द पेमा कौम रैगर सा. देह दर्ज है तथा इसी दस्तावेज के कॉलम नंबर 10 लगायत 13 में लगान का विवरण अंकित है। इसका आशय यह है कि संवत 2010 में वादग्रस्त भूमि ख.न. 169 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा के काबिज काश्तकार श्योजी वल्द पेमा थे तथा उनके द्वारा उक्त भूमि का लगान अदा किया जा रहा था। फलस्वरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अन्तर्गत श्योजी वल्द पेमा वादग्रस्त भूमि के खातेदार आसामी (टीनेन्ट) के अधिकार प्राप्त कर चुके थे। खसरा गिरदावरी संवत 2013–16(प्रदर्श A-34) में भी श्योजी वल्द पेमा को काश्तकार के रूप में दर्ज किया गया है। वादीगण द्वारा भी इसके विपरीत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4

आया नामांतरण संख्या 47 दिनांक 21.10.1962 वादीगण के पूर्वज गुल्ला व भूरा पिता मुकुन्दा ने सरपंच, ग्राम पंचायत एवं राजस्व कारकुनान से साज एवं षडयंत्र रचकर अनुचित रूप से नाम दर्ज करवाया है। जो प्रारम्भ से शून्य एवं अप्रभावी है।

तनकी संख्या 4 को साबित [illegible] भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ने इस संदर्भ में संवत 2010 [illegible] नाम होना न्यायालय के समक्ष वर्णित किया गया है एवं यह [illegible] तथ्य है किन्तु वादीगण द्वारा यह वर्णित किया है कि स्वर्गीय श्योजी वल्द पेमा के नाम खातेदारी अंकन अविधिक रूप से किये गये थे। परन्तु इस तथ्य को वादीगण न्यायालय के समक्ष सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं। उक्त नामांतरण को सक्षम अंतिम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है एवं उक्त नामांतरण के आधार पर वादीगण किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.10.12 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

4 का निर्णय अभिलेखीय साक्ष्य के कम में प्रतिवादी संख्या 5 के हक में किया जाना समुचित है। अतः तनकी संख्या 4 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5

आया वादीगण को वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 05 पर था। प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा अपने बयान DW-1 में कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 02.07.2011 अथवा कि अन्य किसी भी दिन वादीगण को कोई धमकी नहीं दी है। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। इसके संबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का अवलोकन किया गया। वाद पत्र के उपर्युक्त मद नंबर 09, 11 व 12 को एक साथ अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कारण अस्पष्ट है। प्रथमतः मद नंबर 09 में कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं रिकॉर्ड की जानकारी का उल्लेख किया गया है परन्तु उसमें कौनसी दिनांक को कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण द्वारा दखलंदाजी की गई, इसका कोई उल्लेख नहीं है न ही यह उल्लेख है कि राजस्व रिकॉर्ड की नकल कब प्राप्त की गई। इस मद में पूर्णतया अस्पष्ट तथ्यों का अंकन किया गया है। इसी प्रकार मद नंबर 11 में अंकित किया गया है कि वादीगण द्वारा पूर्व में भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया गया था परन्तु उक्त वाद कब प्रस्तुत किया गया उक्त वाद का वाद कारण क्या था तथा क्या उक्त वाद कारण निरन्तर है अथवा नहीं आदि का कोई उल्लेख वादीगण द्वारा नहीं किया गया है। मात्र दिनांक 02.07.2011 को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दिये जाने से वाद कारण का उत्पन्न होना उल्लेख किया गया है जो कि अस्पष्ट है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद में स्पष्ट वाद कारण का उल्लेख नहीं है तथा वाद पत्र को समेकित रूप से पढ़ने मात्र से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा पूर्ववर्ती वाद संबंधी सारभूत तथ्यों को छिपाया गया है। अतः प्रस्तुत वाद पर्याप्त वाद कारण के अभाव के दोष से दूषित है।

उपर्युक्त विवेचन से तनकी संख्या 05 प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में एवं वादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 6

आया वादीगण का वाद प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को धारा 80 सीपीसी का नोटिस बिना मेन्टेनेबल नहीं है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 05 पर था। प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा इस संबंध में यह कथन किया गया है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 07 व 08 को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व विधिवत धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिया गया है अतः वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में पत्रावली का

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sha
Date: 2022.10.12 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 07 व 08 द्वारा इस संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रतिवादी संख्या 05 की आपत्ति में पर्याप्त विधिक बल प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन से तनकी संख्या 06 प्रतिवादीगण के विरुद्ध एवं बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 7

आया वादीगण वाद कब्जा प्राप्ति के अनुतोष के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 05 पर था। तनकी संख्या 01 लगायत 05 के विवेचन एवं उनमें पारित निष्कर्ष से स्पष्ट है कि वादीगण अपने वाद को साबित नहीं कर पाये हैं। जिससे वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार साबित नहीं हो पाये हैं। ऐसी स्थिति में कब्जा प्राप्त किये जाने का अनुतोष मेन्टेनेबल नहीं है तथा अप्रासंगिक है। अतः उक्त तनकी को अर्थहीन व अनावश्यक (Infructuous) निर्णित किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 7 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

आदेश

तनकी संख्या 01 लगायत 05 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में असमर्थ रहे हैं तथा वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जाये। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.10.12 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 115/2011
बउनवानी – हीरालाल बनाम ग्यारसी देवी वगै0
निर्णय दिनांक – 20.09.2022

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी: **श्रीमती अपर्णा शर्मा**
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 115/2011 वाद प्रस्तुति दिनांक – 04.07.2011

1. हीरालाल पुत्र भूरा पौत्र मुकन्दा, जाति रैगर, निवासी ग्राम वैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. गणेशनारायण पुत्र भूरा पौत्र मुकन्दा, जाति रैगर, निवासी ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. गुल्लाराम पुत्र मुकन्दा (दौराने वाद फौत)

3/1 सुभाष अटल पुत्र स्व. गुल्लाराम जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

3/2 रामचन्द्र अटल पुत्र स्व. गुल्लाराम जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

3/3 पूरण चन्द पुत्र स्व. गुल्लाराम जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

3/4 सुशीला पुत्री स्व. गुल्लाराम पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण जाति रैगर निवासी ग्राम लाल्यावास तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

3/5 शीला पुत्री स्व. गुल्लाराम पत्नी श्री ताराचंद जाति रैगर निवासी ग्राम लाल्यावास तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। (मृतक दौराने दावा)

3/5/1 सुनील कुमार वर्मा पुत्र ताराचंद वर्मा निवासी लाल्या का बास, महापुरा

3/5/2 प्रवीण वर्मा पुत्र ताराचंद वर्मा निवासी लाल्या का बास, महापुरा जयपुर

3/5/3 सुनीता वर्मा पत्नी श्री गणेश नारायण वर्मा पुत्री श्री ताराचंद वर्मा निवासी रैगरों का मोहल्ला, बुडथल, जिला जयपुर।

3/6 फुली पुत्री स्व. गुल्लाराम पत्नी श्री ताराचन्द जाति रैगर निवासी ग्राम जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

4. सुवालाल पुत्र मुकन्दा (दौराने वाद फोत)

4/1 मदन पुत्र स्व. श्री सुवालाल जाति रैगर निवासी बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

4/2 सरिता पुत्री स्व. श्री सुवालाल (फौत)

4/2/1 लक्ष्मीनारायण पुत्र प्रेमराज जाति रैगर निवासी ग्राम बगडी तहसील पीपलू जिला टोंक।

4/2/2 अरविन्द कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण निवासी ग्राम बगडी तहसील पीपलू जिला टोंक।

4/2/3 मनीष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति रैगर निवासी ग्राम बगडी तहसील पीपलू जिला टोंक।

4/2/4 रैणु पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी रविकुमार जाति रैगर निवासी ग्राम प्रतापनगर, खानिया बंधा , तहसील जयपुर जिला जयपुर।

4/2/5 आरती पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी विनोद कुमार जाति रैगर निवासी ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक।

4/3 मोहन पुत्र स्व. सुवालाल जाति रैगर निवासी ग्राम बैनामड मय दौलपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharm
Date: 2022.10.12 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

4/4 छीतरमल पुत्र सुवालाल जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

4/5 त्रिलोक चंद पुत्र स्व. सुवालाल जाति रैगर निवासी बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

4/6 गोपीराम पुत्र स्व. सुवालाल जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

4/7 संतोष पुत्री स्व. सुवालाल जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

4/8 माया पुत्री स्व. सुवालाल जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

4/9 विमल पुत्र स्व. सुवालाल जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

5 काना पुत्र मुकन्दा (दौरान वाद फौत)

5/1 ग्यारसी बेवा स्व. कानाराम (नाम हजफ आदेश दिनांक 20.02.2020)

5/2 सुरेश चन्द स्व. कानाराम जाति रैगर निवासी बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर

5/3 छीतरमल अटल पुत्र स्व. कानाराम जाति रैगर बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

5/4 देवेन्द्र पुत्र स्व. कानाराम जाति रैगर निवासी ग्राम बैनाडमय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

5/5 सोहनी देवी पुत्री स्व. कानाराम पत्नी हनुमान जाति रैगर निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील सांभर जिला जयपुर।

5/6 तारा पुत्री स्व. कानाराम पत्नी श्री गुलाब जाति रैगर निवासी मीनावाला तहसील जयपुर।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

.... **वादीगण**

बनाम

1. ग्यारसी देवी पत्नी गोविन्दराम जाति रैगर निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. ओमप्रकाश पुत्र गोविन्दराम (दौराने वाद फौत)

2/1 संतरा देवी पत्नी स्व. ओमप्रकाश जाति रैगर निवासी खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।

2/2 राजेश पुत्र स्व. ओमप्रकाश जाति रैगर निवासी खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।

2/3 अरविन्द पुत्र स्व. ओमप्रकाश जाति रैगर निवासी खोराबीसल तह[illegible] आ[illegible] जिला जयपुर।

2/4 अजय पुत्र स्व. ओमप्रकाश पत्नी नरेन्द्र जाति रैगर [illegible] आमेर जिला जयपुर।

2/5 उषा देवी पुत्री स्व. ओमप्रकाश जाति रैगर निवासी कस्बा सांगानेर त[illegible] सांगानेर जिला जयपुर।

2/6 पुष्पा देवी पुत्री स्व. ओमप्रकाश पत्नी रामस्वरूप जाति रैगर निवासी ग्राम कुन्दनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sha
Date: 2022.10.12 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

3. श्रवण कुमार पुत्र गोविन्द राम जाति रैगर निवासी खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. कैलाश चन्द पुत्र गोवन्द राम जाति रैगर निवासी खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. रामजीलाल पुत्र ईशरा जाति रैगर निवासी बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. सहकारी भूमि विकास बैंक जरिये मैनेजर शाखा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
7. उप पंजियक आमेर , तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील –आमेर, जिला–जयपुर (राजस्थान)

..........**प्रतिवादीगण**

वाद बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा मय दुरूस्ती रिकॉर्ड अन्तर्गत धारा – 88, 92(अ), 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तनकी संख्या 01 लगायत 05 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में असमर्थ रहे हैं। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 20.09.2022 को जारी किया ।

दस्तखत---

ओहदा---

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
मेहन्ताना वकील			मेहन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sha
Date: 2022.10.12 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested